समाहरणालय लातेहार (पंचायत शाखा)

आम सूचना

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, रॉची के आदेश अधिसूचना सं0– 5938 एवं 5939 दिनांक 14.07.2016 द्वारा स्थानीयता नीति के तहत झारखंड जनजातीय परामर्शदातृ परिषद् द्वारा जिला स्तर के वर्ग–3 एवं वर्ग–4 के पदों पर नियुक्ति हेतु राज्य के 13 जिलों में जिला स्तर के वर्ग–3 एवं वर्ग–4 के शत–प्रतिशत पदों पर संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों की नियुक्ति हेतु अधिसूचना प्राप्त हुई है। जिसमें लातेहार जिला सम्मिलित है।

विज्ञापन सं0 01/2016–17, ज्ञापांक–198/पं0 दिनांक–09.06.2016 द्वारा आमंत्रित 14वें वित्त आयोग के योजनाओं के सफल संचालन हेतु लातेहार जिला के लिए कनीय अभियंता एवं लेखा लिपिक–सह– कम्प्युटर ऑपरेटर के लिए आमंत्रित विज्ञापन को अधिसूचना सं0–5938 एवं 5939 दिनांक–14.07.2016 के आलोक में रद्द किया जाता है।

सभी आवेदक को सूचित किया जाता है कि जमा परीक्षा शुल्क जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लातेहार के कार्यालय से कार्यालय अवधि 10.30 बजे पूर्वाहन् से 5.00 बजे अपराह्न के बीच प्राप्त कर सकते हैं।

विश्वासभाजन

ह0/-

उपायुक्त, लातेहार।

ज्ञापांक 264 /पं0, दिनांक 13 /08/2016

प्रतिलिपिः– निदेशक,सुचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि सभी दैनिक समाचार पत्रों में आम सूचना प्रकाशित कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपिः– सुचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, NIC, latehar को सूचनार्थ प्रेषित।निदेशित है कि उपरोक्त आम सूचना को इस जिले के वेबासाईट (www.latehar.nic.in) पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निदेशक–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) झारखण्ड रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

13/08/16

उपायुक्त, लातेहार।